08.05-26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वाके ग्राम खेड़ली ब्राह्मण की आराजीयात में प्रार्थी का नाम सोबीराम के स्थान पर सोफी राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया, जबकि जमाबंदी 2056-59, प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में सही नाम सोबीराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावें।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अध्ययन किया। उक्त के आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.खा.नं. 345, 354, 366, 324, 326, 342, 344, 348, 353, 358, 362, 384 वाके ग्राम खेड़ली ब्राह्मण तह. भुसावर में प्रार्थी का नाम सोफी के स्थान पर सोबीराम दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०